पत्रांक 15/एम 1–101/2013 1153
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
बिहार राज्य के सभी पारम्परिक विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 19/6/ 2014

विषयः– राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा संचालित हो रहे विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के नामांकन हेतु सीटों की संख्या निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में संचालित हो रहे विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के नामांकन हेतु सीटों की संख्या निर्धारित करने के प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हो रहे है। प्रासंगिक मामले में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रणाधीन अंगीभूत महाविद्यालयों में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या निर्धारित करने हेतु एक शैक्षणिक सत्र के लिए प्राधिकृत किया जाता है। विश्वविद्यालय सिर्फ उन्ही व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की अनुमति प्रदान करेंगे जिसके लिए राज्यपाल सचिवालय द्वारा अध्यादेश/विनियम अधिसूचित की जा चुकी हो।

विश्वविद्यालय प्रशासन सीटों की संख्या निर्धारण के क्रम में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति/उपलब्ध शिक्षकों की संख्या आदि को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय भार का वहन अथवा शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन का दावा मान्य नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन को यह निदेश दिया जाता है कि छः माह के अन्दर अपने विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन संचालित सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की आधारभूत सुविधाओं/शिक्षकों की संख्या आदि के संदर्भ में विस्तृत समीक्षा करे तथा सीट निर्धारण के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन विश्वविद्यालयवार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से स्थायी रूप से सीटों की संख्या निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया जा सके। सीट निर्धारण के संदर्भ में वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के लिए विभागीय पत्रांक 1014 दिनांक 28.05.2014 तथा पटना विश्वविद्यालय के लिए विभागीय पत्रांक 1015 दिनांक 28.05.2014 के सीट निर्धारण के संदर्भ में पूर्व में निर्गत पत्र इस हद तक संशोधित माना जाएगा कि वह मात्र एक शैक्षणिक सत्र के लिए प्रभावी रहेगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए।

विश्वासभाजन,
19/6/14

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

19/6

[redacted]

Hindi letter 2014